न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
211/11	29.08.2011	31.01.2019

1 रमेश चन्द पुत्र मूलचन्द
2 सावत्री
3 सुमन
4 सरला
5 बर्फी पुत्रीयान मूलचन्द
6 राजकुमार
7 राजेन्द्र पुत्रान मूलचन्द जातियान अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
8 विरेन्द्र पुत्र कमलेश पुत्री मूलचन्द
9 परिता पुत्री कमलेश पुत्री मूलचन्द जातियान अहीर निवासी सीगडीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज0।

–वादीगण

बनाम

1 रगबीर
2 होशियार
3 शेरिया पुत्रान प्रभाती जाति अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
4 कवीता देवी पत्नी जगदीश
5 जगदीश पुत्र छोटेलाल
6 प्यारे लाल पुत्र छोटेलाल –मृतक
6/1 रोशनी पत्नी प्यारेलाल
6/2 ईशिका पुत्री प्यारेलाल
6/3 रोहित पुत्र प्यारेलाल
6/4 अन्जू पुत्री प्यारेलाल जातियान मीना जरिये सरपरस्त माता रोशनी देवी मीना निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा– अन्तर्गत धारा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इंद्राज वो हु0 ई0 दवामी

उपस्थिति– श्री सतीश कुमार यादव द्वितीय वकील वादीगण

–:निर्णयः–

दिनांक :– 31.01.2019

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा की विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 961/0.03, 982/0.76,

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

986/0.39, 987/0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर मे स्थित होकर उक्त विवादित आराजी का 1/4 भाग विवादित आराजी कहलायेगा। उक्त विवादित आराजीयात साबिक ख0 नं0 449 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा से पैमूद किये गये हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाबत का सजरा पेश है। साबिक खसरा नंबर 449 के बाबत अन्य हिस्सेदारान के साथ वादीगण के दादा नाथिया की आराजी थी। नाथिया की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी मे वादीगण के पिता मूलचन्द एवं प्रतिवादीगण के पिता प्रभाती के नाम से समभाग मे इंद्राज होना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का पिता प्रभाती ने राजस्व कर्मचारीयों से साज–बाज होकर वादीगण के हिस्से को भी खिलाफ कानून व खिलाफ मौका अपने नाम दर्ज करा लिया। प्रभाती की मृत्यु उपरान्त राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज हो गया लेकिन मौके पर नाथिया की मृत्यु के बाद वादीगण के पिता मूलचन्द व प्रतिवादीगण के पिता प्रभाती समभाग मे काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त उभयपक्ष पूर्वजों से मिली विरासत के अनुसार ही अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विवादित आराजी मे वादीगण का 1/8 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/8 भाग बनता है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम ही 1/4 भाग दर्ज है जो गलत है ओर इस गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 ने ख0 नं0 986, 987 मे वादीगण के हिस्से की आराजी का भी बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी सं0 4 लगायत 6 को कर दिया। जो बयनामा वादीगण के हक व हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है। जिसे वादीगण अपने हिस्से तक नल एण्ड वाईड घोषित कराकर अपने आप को आराजी के 1/8 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। चूंकि उक्त खसरा नंबरान का 1/4 भाग ही विवादित है, बाकी अन्य हिस्सेदारो से वादीगण को कोई रिलिफ भी नही चाहिए इसलिए उन्हे पक्षकार बनाना भी आवश्यक नही है का निवेदन करते हुए वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि साबिक ख0 नं0 449 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा से पैमूद हाल ख0 नं0 961/0.03, 982/0.76, 986/0.39, 987/0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर मे उपरोक्तानुसार बयनामा को वादीगण के हिस्से तक शून्य घोषित किया जाकर वादीगण को उपरोक्त विवादित आराजीयात मे 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं मिनवादीगण के हक हकूक तक प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

किया जावे एवं डिकी हु0 ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को पावन्द किया जावे की वो उक्त आराजीयात को कही रहन बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल करे ना ही मिनवादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत ही पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलवी प्रतिवादी सं0 4 लगायत 7 के अनुपस्थित रहने की स्थिति मे उनके विरूद एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये लेकिन बार बार अवसर उपरान्त ना तो जवाब दावा ही पेश किया गया ना ही वकील प्रतिवादी वा प्रतिवादीगण स्वयं ही उपस्थित आये। ऐसी स्थिति मे उनके विरूद भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। तदउपरान्त दौराने न्याय आपके द्वार शिविर खानपुर अहीर मे पत्रावली प्रस्तुत होने पर वादीगण, वकील वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 3 द्वारा राजीनामा पेश हुआ जो बाद प्रमाणित शामिल पत्रावली है। मुताबिक राजीनामा हाल खसरा नंबरान 961, 982, 986, 987 मे वादीगण का 1/8 भाग व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 का 1/8 भाग पूर्वजो के अनुसार बनता है लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने हम प्रतिवादीगणो के नाम 1/4 दर्ज कर दिया जबकि हमारा 1/8 भाग ही है। हम प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 ने अपने 1/8 हिस्से की आराजी का बेचान ख0 नं0 986 व 987 के रूप मे अन्य प्रतिवादीगणो को कर दिया एवं वादीगणो के 1/8 हिस्से की आराजी ख0 नं0 982/0.76 एवं 961/0.03 हैक्टेयर के रूप मे बची है जो वादीगणो के नाम कर दी जावे। हमे कोई आपत्ति नही है। राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर डिकी कर दिया जावें एवं उक्त आराजी मे हम प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 का नाम राजस्व रिकार्ड मे हजफ कर दावा डिकी किया जावे का निवेदन रहा।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद मे मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र रमेश चन्द एवं जगदीश के पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल मिसल हकीयत संवत् 2029 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2018 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत् 1998 प्रदर्श–5, 6 एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2002 प्रदर्श–7 तथा विरासत इंतकाल सं0 31 दिनांक 21.07.1954 प्रदर्श–8 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनो एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के जिम्मनो को दौहराते हुए प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का गहनता से अवलोकन उपरान्त वादीगण के वाद को यह न्यायालय बरूवे राजीनामा स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वादीगण के वाद को बरूवे राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे आराजी खसरा नंबर 982/0.76, 961/0.03 हैक्टेयर वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं उक्त आराजी खसरा नंबरान मे प्रतिवादीगण के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीगण को उपरोक्त आराजीयात के बाबत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं दिनांक 01.06.2018 मे प्रस्तुत राजीनामा निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(साधूराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः–साधूराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
211/11	29.08.2011	31.01.2019

1 रमेश चन्द पुत्र मूलचन्द
2 सावत्री
3 सुमन
4 सरला
5 बर्फी पुत्रीयान मूलचन्द
6 राजकुमार
7 राजेन्द्र पुत्रान मूलचन्द जातियान अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
8 विरेन्द्र पुत्र कमलेश पुत्री मूलचन्द
9 परिता पुत्री कमलेश पुत्री मूलचन्द जातियान अहीर निवासी सीगड़ीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज0। –वादीगण

बनाम

1 रगबीर
2 होशियार
3 शेरिया पुत्रान प्रभाती जाति अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
4 कवीता देवी पत्नी जगदीश
5 जगदीश पुत्र छोटेलाल
6 प्यारे लाल पुत्र छोटेलाल –मृतक
6/1 रोशनी पत्नी प्यारेलाल
6/2 ईशिका पुत्री प्यारेलाल
6/3 रोहित पुत्र प्यारेलाल
6/4 अन्जू पुत्री प्यारेलाल जातियान मीना जरिये सरपरस्त माता रोशनी देवी मीना निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
– प्रतिवादीगण

दावा– अन्तर्गत धारा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इंद्राज वो हु0 ई0 दवामी

–पर्चा डिकी–

वादीगण की ओर से **श्री सतीश कुमार यादव द्वितीय एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 31.01.2019 को साधूराम जाट उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वादीगण के वाद को बरूवे राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे आराजी खसरा नंबर 982/0.76, 961/0.03 हैक्टेयर वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वादीगण का वाद डिकी किया जाता है एवं उक्त आराजी खसरा नंबरान मे प्रतिवादीगण के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीगण को उपरोक्त आराजीयात के बाबत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं दिनांक 01.06. 2018 मे प्रस्तुत राजीनामा निर्णय एवं पर्चा डिकी का अभिन्न अंग रहेगा। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज दिनांक 31.01.2019 को लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(साधू राम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner